



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 04, शुक्रवार, शके 1947- सितम्बर 26, 2025
Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2025

संख्या प.2(16)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 16)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई)

राज्य के कोचिंग सेंट्रों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने और ऐसे सेंट्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने और विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंट्रों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए समुचित अध्युपाय करने तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और विशिष्ट संस्थाओं आदि में प्रवेश दिलाने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विज्ञापन" से किसी सेवा या ब्रांड को प्रोन्नत करने या संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें किसी विनिर्दिष्ट कार्य को करने के लिए मनाने हेतु डिजाइन किया गया कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, सूचना-पट्ट और पोस्टर आदि अभिप्रेत है और इसमें प्रिंट, डिजिटल, प्रसारण का कोई भी स्वरूप सम्मिलित है;

- (ख) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "कोचिंग" से विद्यार्थियों को विद्या की किसी भी शाखा में प्रदान किया गया ट्यूशन, शिक्षण या मार्गदर्शन अभिप्रेत है, किंतु इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, नाट्यशाला और अन्य सृजनात्मक क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं हैं;
- (घ) "कोचिंग सेंटर" में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता के लिए एक सौ से अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित या प्रशासित कोई सेंटर सम्मिलित है;
- (ङ) "जिला समिति" से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (च) "फीस" से रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर को, कोचिंग के लिए संदत्त धनराशि, अभिप्रेत है और इसमें प्रवेश फीस, अध्यापन फीस आदि सम्मिलित हैं;
- (छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "छात्रावास" से किसी कोचिंग सेंटर या व्यक्ति या किसी सोसाइटी, न्यास, कम्पनी द्वारा दस या उससे अधिक विद्यार्थियों को संदाय के आधार पर उपलब्ध कराया गया कोई निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (झ) "संस्था" से किसी बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या नियंत्रित या सहबद्ध विद्यालय या कोई अन्य शैक्षिक संस्था या राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यताप्राप्त, कोई सहबद्ध महाविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालय, कोई संघटक महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम के अधीन स्थापित शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;
- (ञ) "अभिभावक" से किसी विद्यार्थी का जैविक पिता या माता अभिप्रेत है, और इसमें बिना जैविक संबंध वाला कोई व्यक्ति, जिसका विद्यार्थी के प्रति विधिक उत्तरदायित्व है, भी सम्मिलित है;
- (ट) "व्यक्ति" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें व्यक्तियों का समूह या कोई निगमित निकाय, या कोई न्यास, फर्म या सोसाइटी या कोई संस्था सम्मिलित है;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "स्वत्वधारी" से कोई व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर का स्वामित्व रखता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर अभिप्रेत है;
- (ण) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (त) "विद्यार्थी" से कोचिंग सेंटर में नामांकित कोई विद्यार्थी अभिप्रेत है;
- (थ) "विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी" से अभिभावकों द्वारा गठित और राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (द) "ट्यूटर" से कोई व्यक्ति, जो किसी कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन या प्रशिक्षण देता है, अभिप्रेत है और इसमें विशेषज्ञीय ट्यूशन देने वाला ट्यूटर भी सम्मिलित है; और
- (ध) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, और इसमें कोई ऐसी संस्था सम्मिलित

है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) के अधीन इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

3. राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना और गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करेगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i)	प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-पदेन अध्यक्ष;
(ii)	प्रभारी सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(iii)	प्रभारी सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(iv)	प्रभारी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(v)	पुलिस महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो पुलिस उप महानिरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो	- पदेन सदस्य;
(vi)	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा	- पदेन सदस्य;
(vii)	निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर	- पदेन सदस्य;
(viii)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजकीय चिकित्सालय का कोई मनोचिकित्सक	- सदस्य;
(ix)	सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजस्थान लेखा सेवा का कोई अधिकारी, जो लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का न हो	-सदस्य;
(x)	प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा कोचिंग सेंटरों से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xi)	प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रतिनिधि	-सदस्य; और
(xii)	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-पदेन सदस्य- सचिव;

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “प्रभारी सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित हैं, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो।

(3) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्जित, धारित और व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(5) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जैसेकि विहित किये जायें।

(6) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर होगा।

4. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण को, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) साक्षियों को समन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन जिला समिति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील ग्रहण करेगा।

(3) प्राधिकरण उसमें वर्णित उपबंधों के अनुसार, ऐसी विशेषताओं के साथ, जैसी कि विहित की जायें, एक पोर्टल स्थापित और संधारित करेगा।

(4) प्राधिकरण कोचिंग सेंट्रों में नामांकित विद्यार्थियों की शिकायतों पर ध्यान देने के प्रयोजनार्थ, ऐसे जिलों के लिए, जैसा कि विहित किया जाये, एक 24×7 कॉल सेन्टर स्थापित कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जैसाकि विहित किया जाये, उतनी बार जितनी आवश्यक हो, बैठक करेगा।

(6) प्राधिकरण, जिला समिति के कार्य संपादन को मानीटर करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला समितियों को आवश्यक निदेश देगा।

(7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जिला समिति विहित समय-सीमा में शिकायतों को दूर करे।

(8) प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाये गये नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह कोचिंग सेंटर के किसी भी परिसर का निरीक्षण कर सकता है और यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसा कोई उल्लंघन हो रहा है या हुआ है, ऐसे किसी अभिलेख, लेखाओं, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है और यदि प्राधिकरण का यह विचार है कि आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो प्राधिकरण मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।

(9) विद्यार्थियों के हितों, विद्यार्थियों के समग्र विकास, विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए अन्य कोई कृत्य।

5. **जिला समिति.**- (1) राज्य सरकार जिले में स्थित कोचिंग सेंट्रों की उचित मानिट्रिंग के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला समिति का गठन करेगी।

(2) जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क)	जिला मजिस्ट्रेट	-पदेन अध्यक्ष;
(ख)	पुलिस अधीक्षक	-पदेन सदस्य;
(ग)	संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय का आयुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी	-पदेन सदस्य;
(घ)	मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी	-पदेन सदस्य;
(ङ)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	-पदेन सदस्य;
(च)	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजकीय चिकित्सालय का कोई मनोचिकित्सक	-सदस्य;
(छ)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राजस्थान लेखा सेवा का कोई अधिकारी, जो लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का न हो	-सदस्य;
(ज)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले कोचिंग सेंट्रों के दो प्रतिनिधि	-सदस्य;
(झ)	जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विद्यार्थी अभिभावक सोसाइटी के दो प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ञ)	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिला मुख्यालय के किसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य	-सदस्य; और
(ट)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)	-सदस्य-सचिव।

(3) नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

6. **जिला समिति की शक्तियां और कृत्य.**- (1) जिला समिति को, इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

- (क) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
- (घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और
- (ङ) निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(2) जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:-

(क) राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) प्राधिकरण की नीतियों, सिफारिशों और निदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) इस अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर करना, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करना या नवीकरण से इन्कार करना;

(ग) समस्त कोचिंग सेंटरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यार्थियों की प्रोन्नति और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर एक बार में पूरी फीस प्रभारित नहीं करता है और अभिभावकों को पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर न्यूनतम चार बराबर किस्तों में फीस का भुगतान करने का विकल्प दिया जायेगा;

(ङ) विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए, जिला और खण्ड स्तर पर शिकायत समाधान प्रकोष्ठ का गठन करना, जैसाकि विहित किया जाये;

(च) कोचिंग सेंटरों द्वारा मिथ्या विज्ञापन, झूठे दावों, लाभप्रद प्रस्तावों आदि के अनाचार पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाना;

(छ) इस अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार विद्यार्थियों या अभिभावकों द्वारा की गयी शिकायतों के बारे में जांच करना;

(ज) कोचिंग सेंटर के किसी भी अभिलेख का स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर स्वयं के द्वारा या जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करना। कोचिंग सेंटर का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, ऐसे अभिलेखों को जो अपेक्षित हों, निरीक्षण के दौरान जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(झ) ऐसी दशा में जब किसी विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के लिए पूर्ण संदाय कर दिया है और विहित कालावधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो शेष अवधि के लिए पूर्व में जमा करवायी गयी फीस में से शेष फीस आनुपातिक आधार पर, दस दिवसों के भीतर वापस करने के निदेश देना। यदि, विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा हो, तो जिला समिति छात्रावास फीस और भोजनालय फीस आदि लौटाने के निदेश दे सकेगी।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि किसी सरकारी संस्थान में नियमित काडर सदस्य संख्या में सेवारत अध्यापकों को कोचिंग सेंटरों में अध्यापन में नहीं लगाया जाये;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर का स्वामी या प्रभारी-व्यक्ति ऐसे अभिलेखों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों का संधारण करेगा, जैसाकि विहित किया जाये;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कोचिंग सेंटर में शिकायत और सुझाव पेटिका स्थापित है और ऐसी पेटिकाओं में डाले गए सुझावों और शिकायतों को आवधिक रूप से संगृहीत करने की व्यवस्था करना;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर उन विद्यार्थियों के लिए, जो अपनी संस्थाओं/विद्यालयों के समय के दौरान संस्थाओं/विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहे हैं, कोचिंग कक्षाएं संचालित न करें, जिससे कि ऐसी संस्थाओं/विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे;

(ढ) यह सुनिश्चित करना कि कोचिंग सेंटर केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गयी विद्यालय मूल्यांकन समय-सारणी को ध्यान में रखेंगे और तदनुसार कोचिंग सेंटर के अध्ययन समय का समायोजन करेंगे;

(ण) कोचिंग सेंटरों से रजिस्ट्रीकरण फीस, शास्ति, किसी अन्य स्रोत आदि से कोचिंग सेंटरों के मद्दे प्राप्त रकम के लेखे संधारित करना और इस प्रयोजन के लिए, यह एक बैंक खाता खोलेगा और आय तथा व्यय का लेखा संधारित करेगा। इस खाते में के संव्यवहारों को प्रति वर्ष संपरीक्षित किया जायेगा, जैसाकि विहित

किया जाये। इस प्रकार संपरीक्षित खाते का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा;

(त) जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित ऐसे समय और स्थान पर जितनी बार आवश्यक हो बैठक करना किंतु जो प्रति दो मास में एक बार से कम नहीं हो;

(थ) यह सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने की दशा में या कोचिंग सेंटर के स्वयं समापन होने की दशा में कोचिंग सेंटर द्वारा विद्यार्थियों को सम्पूर्ण फीस का प्रतिदाय किया जाये; और

(द) कोई अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

7. कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रीकरण.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, कोई भी कोचिंग सेंटर वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किये बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान कोचिंग सेंटर, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, उस जिला समिति को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा कोचिंग सेंटर अवस्थित है, विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण फीस और ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(4) किसी कोचिंग सेंटर की अनेक शाखाएं हों, तो ऐसी शाखाओं में से प्रत्येक को पृथक्-पृथक् कोचिंग सेंटर के रूप में माना जायेगा और प्रत्येक शाखा के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(5) जिला समिति जांच करने और उसका स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर जिला समिति, या तो विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगी या आवेदक को ऐसे रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने से इन्कार करने के अपने आदेश के कारणों को अभिलिखित करते हुए संसूचित करेगी:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने वाला कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि तीन वर्ष होगी जब तक कि किसी कारण से उससे पहले रद्द न कर दिया जाये।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख से दो माह पूर्व जिला समिति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए, ऐसे प्ररूप में नवीकरण फीस और दस्तावेजों सहित, जैसाकि विहित किया जाये, आवेदन करेगा।

(8) जिला समिति, विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रीकरण कालावधि के अवसान से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर विनिश्चय करेगी और प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगी या इन्कार होने पर रजिस्ट्रीकरण कालावधि के अवसान से पूर्व इन्कार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदक को संसूचित करेगी:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण से इन्कार करने वाला कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(9) जिला समिति न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ चेहराविहीन रीति से कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के लिए वेब-पोर्टल/ऑनलाइन मैकेनिज्म सृजित करेगी।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें.- (1) कोई भी कोचिंग सेंटर-

- (i) स्नातक से कम अर्हता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा;
- (ii) अभिभावकों/विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में उन्हें नामांकित करने के लिए रैंक या अच्छे अंकों का भ्रामक वचन या गारंटी नहीं देगा;
- (iii) रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, यदि उसका क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर से कम है;
- (iv) किसी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा, जिसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो;
- (v) रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा, जब तक कि उसके पास इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षा के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

(2) कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति या स्वत्वधारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ उप-धारा (1) में उल्लिखित समस्त आज्ञापक निबंधन और शर्तों की पूर्ति के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) कोचिंग सेंटर की एक वेबसाइट होगी, जिसमें ट्यूटर्स की अर्हताओं, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हों), और प्रभारित फीस, आसान निकास नीति, फीस प्रतिदाय नीति, कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल छात्रों की संख्या का प्रतिशत आदि का अपडेट किया हुआ ब्यौरा होगा।

(4) कोचिंग सेंटर स्थानीय अधिकारिता में लागू पृथक् रजिस्ट्रीकरण सहित विभिन्न विधियों, नियमों, विनियमों आदि का अनुपालन करेगा।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज.- (1) कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ स्वत्वधारी द्वारा यह कथन करते हुए परिवचन संलग्न किया जायेगा कि-

- (क) वह केवल 'रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटर' शब्द का प्रयोग करेगा और किसी भी साइन बोर्ड या किसी प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकृति के संचार या किसी भी स्थान पर 'मान्यताप्राप्त' या 'अनुमोदित' शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा;
- (ख) उन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं, जो संस्थाओं में भी अध्ययनरत हैं, उनकी संस्था के समय के दौरान संचालित नहीं की जायेंगी;
- (ग) ट्यूटर्स की अर्हताएं, कोचिंग कक्षा की समय सारणी, प्रभारित फीस के संबंध में, आवश्यक सूचना और कोचिंग कक्षा के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट, सामान्य जानकारी कोचिंग सेंटर की वेबसाइट, और उसके परिसर में प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी;
- (घ) वह या कोचिंग सेंटर में किसी भी रीति से, नियोजित कोई भी ट्यूटर या व्यक्ति नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;
- (ङ) वह कोचिंग कक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की विनिर्दिष्ट संख्या से संबंधित शर्त का पालन करेगा; और

(च) वह अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, जैसीकि विहित की जायें।

(2) वह ऐसे अन्य दस्तावेज भी संलग्न करेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण की एक प्रति संलग्न की जायेगी।

10. अवसंरचना की अपेक्षाएं.- एक कोचिंग सेंटर को निम्नलिखित अवसंरचना संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी:-

(क) कोचिंग सेंटर की आधारीक संरचना के भीतर, कक्षा/बैच के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आबंटित किया जायेगा। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अवसंरचना होगी;

(ख) कोचिंग सेंटर भवन अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का अनुपालन करेगा और संबंधित स्थानीय निकाय से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा;

(ग) विद्यार्थियों की सहायता के लिए, कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता/उपचार की सुविधा होगी। रेफरल सेवाओं जैसे अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सक, पुलिस हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के ब्यौरे, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि की सूची सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी;

(घ) कोचिंग सेंटर भवन पूरी तरह से विद्युतीकृत और संवातित होगा;

(ङ) कोचिंग सेंटर के समस्त विद्यार्थियों और कर्मचारिवृंद के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध होगा;

(च) कोचिंग सेंटर में, जहां भी अपेक्षित हो, सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे और सुरक्षा को अच्छी तरह से बनाये रखा जायेगा;

(छ) विद्यार्थियों हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए कोचिंग सेंटर में एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखा जायेगा। कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों के परिवादों/शिकायतों के निवारण के लिए समिति होगी; और

(ज) कोचिंग सेंटर भवन परिसर के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालयों के प्रबंध किये जायेंगे।

11. पाठ्यचर्या और कक्षाएं.- विद्यार्थियों के समग्र विकास प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और कोचिंग के साथ, पाठ्यचर्या और कक्षाओं के संबंध में, विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने हेतु, कोचिंग सेंटर,-

(i) प्रोस्पेक्टस में यथा उल्लिखित नियत समय में कक्षाएं पूरी करने का प्रयास करेंगे;

(ii) उन विद्यार्थियों को, जिन्हें अपने शैक्षणिक कार्य में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, उपचारी या सहायता कक्षाएं प्रदान करेंगे;

(iii) विद्यार्थियों को आराम करने और स्वस्थ होने का अवसर देने के लिए समय-सारणी की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार, उन पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालेंगे;

(iv) विद्यार्थियों के साथ-साथ ट्यूटर्स के लिए भी साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करेंगे;

(v) साप्ताहिक अवकाश के पश्चात् अगले दिन निर्धारण परीक्षण/परीक्षा संचालित नहीं करेंगे;

(vi) छुट्टियों को ऐसी रीति से अनुकूलित करेंगे कि विद्यार्थी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहारों के दौरान अपने परिवार से जुड़ने में समर्थ हो सकें;

- (vii) कोचिंग कक्षाएं इस प्रकार संचालित की जायेंगी कि यह किसी छात्र के लिए अत्यधिक न हो और यह एक दिन में पांच घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (viii) नियमित कक्षाएं संचालित करने के अतिरिक्त, नियमित अन्तरालों पर सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों को आयोजित करने का प्रयास करेंगे;
- (ix) विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल के विकास के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने का प्रयत्न करेंगे।

12. कोचिंग सेंटर के लिए आचार संहिता.- राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोचिंग सेंटरों के लिए एक आचार संहिता होगी और प्रत्येक कोचिंग सेंटर को इस संहिता का पालन करना होगा। आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- (i) प्रत्येक कक्षा/बैच में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से परिभाषित और वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। किसी भी दशा में पाठ्यक्रम के चालू रहने के दौरान कक्षा/बैच में ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं की जायेगी;
- (ii) दाखिल विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में स्वस्थ शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बनाये रखने और ट्यूटर्स तथा काउंसलरों के साथ संबंध बनाने के लिए अधिक अवसर सृजित करने की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी ट्यूटर से जुड़ने में सक्षम हों और विद्यार्थी की स्क्रीन/ब्लैकबोर्ड तक आसान पहुंच और दृश्यमानता हो;
- (iii) विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या में नामांकन से पहले परीक्षाओं की कठिनाई, पाठ्य विवरण, तैयारी की गहनता के स्तर और अपेक्षित प्रयासों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराया जायेगा;
- (iv) विद्यार्थियों को शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक जीवन, वास्तविकताओं तथा विद्यालय स्तर की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच अंतर के बारे में जागरूक किया जायेगा;
- (v) अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के विकल्पों के अलावा विद्यार्थियों को अन्य कैरियर विकल्पों की जानकारी प्रदान की जाये, जिससे कि वे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त न हों और वैकल्पिक कैरियर विकल्प चुन सकें;
- (vi) अभिभावकों को उनके प्रतिपाल्य के लिए, किसी कोचिंग संस्था में उन्हें नामांकित करने से पूर्व अभिवृत्ति टेस्ट का एक विकल्प दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा उनके कैरियर चुनाव से संबंधित एक सुविज्ञ निर्णय को समर्थ बनाया जा सके;
- (vii) कोचिंग सेंटर को विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं मानसिक दबाव का कारण बन सकती हैं;
- (viii) कोचिंग सेंटर अपने द्वारा संचालित निर्धारण परीक्षण के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। निर्धारण परीक्षण को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग विद्यार्थियों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए तथा जिस विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन का क्षय हो रहा है, उसे परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए; और
- (ix) विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर बैचों का पृथक्करण नहीं किया जायेगा।

13. फीस.- (1) विभिन्न पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या के लिए प्रभारित ट्यूशन फीस उचित और युक्तियुक्त होगी तथा प्रभारित फीस की रसीदें उपलब्ध करायी जायेंगी।

(2) कोचिंग सेंटर को भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, उनकी पूरा होने की अवधि, कक्षाओं, व्याख्यानों, ट्यूटोरियल्स की संख्या, छात्रावास सुविधा, भोजनालय और प्रभारित की जा रही फीस, आसान

निकास नीति, फीस प्रतिदाय आदि उल्लिखित करते हुए, एक प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा। यह ब्यौरे परिसर में के प्रमुख और पहुंच वाले स्थान पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

(3) कोचिंग सेंटर द्वारा अपने नामांकित विद्यार्थियों को प्रोस्पेक्टस, नोट्स और अन्य सामग्री इसके लिए बिना किसी पृथक् फीस के उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) यदि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का संदाय कर दिया है और विहित कालावधि के मध्य में ही पाठ्यक्रम छोड़ रहा है, तो विद्यार्थी को शेष कालावधि के लिए पूर्व में जमा की गयी फीस में से, दस दिवस के भीतर, आनुपातिक आधार पर वापस कर दी जायेगी। यदि विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा है, तो छात्रावास फीस और भोजनालय फीस आदि भी उसी रीति से वापस की जायेगी।

(5) जिस फीस के आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया है, उसे किसी भी परिस्थिति में उस चालू पाठ्यक्रम के दौरान नहीं बढ़ाया जायेगा।

14. परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता.- (1) कोचिंग सेंटर को संकट और तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को लक्षित और निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक क्रियाविधि स्थापित करनी चाहिए।

(2) जिला समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकेगी कि कोचिंग सेंटर द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाये और वह छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के नामों तथा उनकी सेवाएं प्रदान करने के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को प्रदान की जा सकती है।

(3) मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जा सकता है।

(4) कैरियर परामर्शदाताओं को छात्रों की रुचि, योग्यता और क्षमता का निर्धारण करने के लिए शामिल किया जा सकता है, और तदनुसार छात्रों और उनके अभिभावकों को सर्वोत्तम कैरियर विकल्प चुनने के लिए यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता है।

(5) कोचिंग सेंटर द्वारा अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव की रोकथाम पर नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता सप्ताह आयोजित किये जा सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य, अच्छे पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के हानिकारक और नुकसानदायक प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सेंटर द्वारा अभिभावकों के लिए आयोजित संवाद सत्र में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, लचीलेपन और स्वयं की देखभाल के लिए जिम्मेदार होने के संदर्भ में सकारात्मक परवरिश पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

(6) छात्रों को उनके सुधार के क्षेत्रों के बारे में प्रभावी और संवेदनशील तरीके से जानकारी देने के लिए ट्यूटर्स को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(7) परामर्श के भाग के रूप में कोचिंग सेंटर को चर्चाओं, प्रतियोगिताओं और परियोजनाओं में साथियों में समूह सम्पर्क तथा समूह-आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास, आयोजित करने चाहिए।

(8) विद्यार्थी की शंकाओं का समाधान उन ट्यूटर्स द्वारा किया जायेगा, जिन्होंने कक्षा में पढ़ाया हो, जिससे विद्यार्थी संतुष्ट महसूस करें।

15. अभिलेख रखना.- कोचिंग सेंटर ऐसे अभिलेख, लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज रखेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

16. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण पर निर्बंधन.- कोचिंग सेंटर केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में इंगित स्थान पर ही कोचिंग संचालित करेगा और जिला समिति के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इसे अपने रजिस्ट्रीकृत पते के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।

17. कोचिंग सेंटर के क्रियाकलापों को मानीटर करना.- जिला समिति या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी कोचिंग सेंटर को निरंतर मानीटर करेगा और कोचिंग सेंटर से रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षित अर्हता की पूर्ति तथा कोचिंग सेंटर की संतोषप्रद गतिविधियों के संबंध में जांच करेगा।

18. परिवाद.- कोचिंग सेंटर के विरुद्ध कोचिंग सेंटर के छात्र, अभिभावक या ट्यूटर/कर्मचारी द्वारा जिला समिति के समक्ष परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। परिवाद प्राप्त होने पर या प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त होने पर, जिला समिति या तो स्वयं या जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अपने किसी सदस्य के माध्यम से मामले की जांच करेगी, जांच के पश्चात् जिला समिति परिवाद प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर समुचित आदेश पारित कर सकेगी:

परन्तु धारा 19 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई भी आदेश कोचिंग सेंटर को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

19. शास्तियां.- (1) रजिस्ट्रीकरण के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों या सामान्य शर्तों के अतिक्रमण की दशा में, कोचिंग सेंटर निम्नानुसार शास्तियों के लिए दायी होगा:-

- (i) प्रथम अतिक्रमण के लिए 50,000/- रुपये; या
- (ii) द्वितीय अतिक्रमण के लिए 2,00,000/- रुपये; या
- (iii) पश्चात्पूर्ती अतिक्रमण के लिए रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

(2) यदि कोचिंग सेंटर शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो यह रकम कोचिंग सेंटर के स्वत्वधारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

20. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- कोचिंग सेंटर को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, सुसंगत विधि के अतिक्रमण के लिए की जाने वाली किसी भी अन्य दाण्डिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा, यदि संबंधित जिला समिति का यह समाधान हो जाता है कि कोचिंग सेंटर ने अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है या उन निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया है जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया था:

परन्तु, जिला समिति द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

21. अपील.- (1) जिला समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, प्राधिकरण को, यथाविहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण उक्त तीस दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) प्राधिकरण, अपील फाइल होने के तीस दिवस के भीतर-भीतर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा।

22. कोचिंग सेंटर से संबंधित भ्रामक विज्ञापन का प्रतिषेध.- कोई कोचिंग सेंटर, उससे संबंधित किसी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवायेगा या उसके प्रकाशन में भाग नहीं लेगा।

23. **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना.**- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

24. **अधिकारिता का वर्जन.**- किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए राज्य सरकार या कोई व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा सशक्त किया गया है।

25. **निदेश देने की शक्ति.**- राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित रूप में ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेश दे सकेगी, जो आवश्यक हों।

26. **मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति.**- राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी।

27. **सद्भावपूर्वक किये गये कृत्य के लिए संरक्षण.**- प्राधिकरण और जिला समिति, या अध्यक्ष या किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

28. **नियम बनाने की शक्ति.**- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

29. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.**- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।